छत्तीसगढ़ शासन

# छत्तीसगढ़
# राज्य खाद्य आयोग

## वार्षिक प्रतिवेदन
### वर्ष: 2024-25

नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

**मान. श्री विष्णु देव साय**
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

**मान. श्री दयाल दास बघेल**
मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

**मान. श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा**
अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा,
छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग

# छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग
# नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
# छत्तीसगढ़

## वार्षिक प्रतिवेदन
## वर्ष 2024-25

# छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
छत्तीसगढ़

# वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2024-25

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

# अनुक्रमणिका


| क्रं. | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1 | छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का उद्देश्य | 1 |
| 2 | राज्य खाद्य आयोग की संरचना एवं गठन | |
| 3 | आयोग में कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्यों की जानकारी, पदभार ग्रहण आयोग का कार्यालय, कार्यकाल एवं कार्य दिवस | 2–3 |
| 4 | राज्य खाद्य आयोग के कार्य एवं प्रमुख अधिनियम/नियम एवं खाद्य आयोग की वेबसाइट की जानकारी | 3–6 |
| 5 | राज्य खाद्य आयोग की अंतर्विभागीय बैठक दिनांक 21 मार्च, 2025 में आयोग की अनुशंसाऐं | 7–8 |
| 6 | खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित प्रमुख योजना | 9–18 |
| 7 | वित्तीय वर्ष 2024–25 में दर्ज एवं निराकृत शिकायतों की जानकारी | 19–20 |
| 8 | छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का बजट | 21 |

## छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का उद्देश्य

जनसामान्य को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु भारत शासन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 7 में अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन एवं प्रावधानित सभी पात्रताओं का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करने की निगरानी एवं समीक्षा तथा राज्य में पीडीएस की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का गठन मार्च 2017 में किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष सहित 5 अन्य सदस्य के पद स्वीकृत है। आयोग का मुख्यालय नवा रायपुर, अटल नगर में है।

## राज्य खाद्य आयोग का गठन एवं संरचना

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के संचालन हेतु राज्य शासन द्वारा 32 पद स्वीकृत किए गए है।

## छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की संरचना

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के लिए स्वीकृत सेट–अप का विवरण निम्नानुसार है।

| क्रमांक | पदनाम | स्वीकृत पद |
|---|---|---|
| 1 | अध्यक्ष | 1 |
| 2 | सदस्य | 5 |
| 3 | सदस्य सचिव | 1 |
| 4 | तृतीय श्रेणी पद | 12 |
| 5 | चतुर्थ श्रेणी पद | 13 |
| **योग** | | **32** |

## आयोग में कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्यों की जानकारी निम्नानुसार है:-

| क्र. | नाम | पदनाम | पता |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा | अध्यक्ष | बाबरा मोटर्स, नमनाकला रिंग रोड, अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) पिन – 497001 |
| 2 | श्री हरीश परसाई | सदस्य | A–96 नेहरू नगर बुधवारी बाजार के पास कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.) |
| 3 | श्री राजेन्द्र महिलांग | सदस्य | गणेश चौक कृष्णा नगर वार्ड क्रमांक 08 सतनाम भवन के पास सुपेला, जिला दुर्ग (छ.ग.) |
| 4 | श्री कुलदीप शर्मा | सदस्य | ग्रीन अर्थ सिटी जेस्मीन ब्लाक–01 405, अमलेश्वर, जिला–दुर्ग (छ.ग.) |
| 5 | श्रीमती ज्योति कश्यप | सदस्य | ग्राम–खैरताल पोस्ट–कटौद तहसील नवागढ़ जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.) |
| 6 | श्री राजीव कुमार जायसवाल | सदस्य सचिव | B–602, सोलस हाइट्स, अमलीडीह रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.) |

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर का आदेश क्रमांक एफ 1–22/2016/29–2 द्वारा माननीय श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा, द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2020, को पदभार ग्रहण किया गया।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर, 2022 के अनुपालन मे राज्य खाद्य आयोग में 05 सदस्यों की नियुक्ति किया गया है, दिनांक 08.12.2022 को कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग में माननीय अध्यक्ष श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा के समक्ष 5 नवनियुक्त सदस्य श्री हरीश परसाई, श्री राजेन्द्र महिलांग, श्री विमल सुराना, श्री कुलदीप शर्मा, श्रीमती ज्योति कश्यप, को पदभार ग्रहण कराया गया। जिसमें से 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के कारण श्री विमल सुराना, माननीय सदस्य का एक पद दिनांक 13.04.2023 से रिक्त है।

## आयोग का कार्यकाल एवं कार्य दिवस

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का कार्यालय अटल नगर नवा रायपुर, सेक्टर 17 स्थित डी 02–9/10 में संचालित है। आयोग का कार्य दिवस, राज्य सरकार के कार्य दिवस अनुसार है।

## छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के कार्य

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का मुख्य कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा करना है। उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त राज्य खाद्य आयोग के निम्नलिखित कार्य है :–

1. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अनुसूची–एक में उल्लेखित पात्रता के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं मूल्यांकन करना।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघनों की स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर जाँच करना।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना।
4. हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम में विनिर्दिष्ट पात्रताओं तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित अभिकरणों, स्वायत निकायों और गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना।
5. जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्व अपीलों की सुनवाई करना।

### केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रताओं के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न अधिनियम, नियम एवं नियंत्रण आदेश की जानकारी निम्नानुसार है :-

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013**

  इस अधिनियम के भाग 2 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों की पात्रता तथा राज्य खाद्य आयोग के गठन एवं शिकायतों के निवारण तंत्र संबंधी आवश्यक प्रावधान किया गया है।

- **छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012**

  इस अधिनियम के भाग 2 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना तथा छात्रावास/आश्रम के हितग्राहियों की पात्रताओं तथा शिकायतों के निवारण तंत्र संबंधी आवश्यक प्रावधान किया है।

- **छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम 2016**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की पात्रताओं के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों की निगरानी तथा समयबद्ध निराकरण हेतु शिकायत निवारण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत जिला शिकायत निवारण अधिकारी के प्रावधान के साथ—साथ राज्य खाद्य आयोग के गठन का भी प्रावधान है।

- **छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 40 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा और पोषण अधिनियम 2012 की धारा 30 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशनकार्ड हेतु हितग्राहियों के पात्रता के मापदंड तथा राशन कार्ड जारी किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

- **खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम, 2016**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 एवं 39 के अंतर्गत अधिनियम के भाग 2 में उल्लेखित पात्रताओं के उल्लंघन की स्थिति में हितग्राहियों को दिए जाने वाले खाद्य सुरक्षा भत्ता तथा इसकी प्रक्रिया का प्रावधान इस नियम के अंतर्गत किया गया है।

- **छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पारदर्शिता एवं जवाबदेही) नियम 2017**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियाकलापों में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा निगरानी व्यवस्था एवं सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए है।

- **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015**

  सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आबंटन हेतु राशनकार्ड के निर्माण, उचित मूल्य दुकान के आबंटन, नियमित रूप से राशन सामग्री के प्रदाय, वितरण एवं इसकी निगरानी की व्यवस्था संबंधी प्रावधान इस आदेश के अंतर्गत किए गए है।

- **छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016**

  भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधान के अनुरूप राज्य शासन द्वारा उचित मूल्य दुकान आबंटन की प्रक्रिया, राशन सामग्री के आबंटन उठाव एवं वितरण की प्रक्रिया, उचित मूल्य दुकानों की जाँच, निगरानी समितियों के गठन, अभिलेखों के सामाजिक अंकेक्षण आदि प्रावधान किए गए है।

- **मध्यान्ह भोजन नियम, 2015**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 39 के अंतर्गत जारी मध्यान्ह भोजन योजना नियम 2015 के अंतर्गत प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूलों में प्रदाय किए जाने वाले मध्यान्ह भोजन के पात्रता के मापदंड, भोजन की गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था आदि के प्रावधान किए गए हैं।

- **पूरक पोषण (समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत) नियम, 2017**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत जारी इस नियम के अंतर्गत 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के लिए पूरक पोषण आहार की पात्रता, इसके मानक, पूरक पोषण आहार तैयार करने की प्रक्रिया तथा इसकी निगरानी व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सिद्धान्त, भारत सरकार, 2017**

  इस मार्गदर्शी सिद्धांत के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्षित हितग्राही की जानकारी, योजना के अंतर्गत प्रदाय किए जाने वाले लाभ, आवेदन की प्रक्रिया तथा क्लेम के भुगतान की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

# छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के भाग 2 में उल्लेखित योजनाओं के हितग्राहियों की पात्रताओं के क्रियान्वयन की सतत् निगरानी एवं मूल्यांकन करना आयोग का मुख्य कार्य है। आयोग के गठन के उद्देश्य तथा इसके क्रियाकलाप की जानकारी के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित प्राप्त शिकायत के समय पर निराकरण एवं इन योजनाओं की सतत् निगरानी हेतु वेबसाइट का निर्माण किया गया है। आयोग की वेबसाइट दिनांक 18 नवंबर, 2020 से निरंतर संचालित है। आयोग की वेबसाइट के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है:–

1. **आयोग की सामान्य जानकारी-** इसके अंतर्गत आयोग के गठन, माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य गणों की जानकारी तथा आयोग की शक्तियों एवं कार्य संबंधी जानकारी से आम लोगों को अवगत कराना।

2. **ऑनलाइन आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली-** सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, छात्रावास/आश्रम को प्रदाय बीपीएल दर पर पोषणाहार सहायता योजना के क्रियान्वयन की निगरानी तथा शिकायत निवारण हेतु निम्नलिखित प्रावधान शामिल है :–

- ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने हेतु सुविधा
- सुझाव दर्ज कराने हेतु प्रावधान
- शिकायत की स्थिति जानने हेतु व्यवस्था
- नोडल अधिकारी द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) को शिकायत हस्तांतरित करना
- आयोग द्वारा संबंधित विभाग को कार्यवाही हेतु शिकायत हस्तांतरित करना
- संबंधित विभाग द्वारा शिकायत निवारण दर्ज करने हेतु पृथक लॉगिन की व्यवस्था करना
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी के निर्णय के विरूद्व शिकायतकर्ता द्वारा आयोग में ऑनलाइन अपील दर्ज करने की सुविधा

3. **शिकायत निवारण प्रणाली का प्रचार प्रसार-** आयोग की निगरानी के अधीन योजनाओं के तहत् हितग्राहियों को पात्रतानुसार नियमित रूप से निर्धारित गुणवत्ता की राशन सामग्री प्राप्त न होने की दशा में राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट https://khadya.cg.nic.in/rationcards/cgsfc/index-2.aspx, खाद्य विभाग के कॉल सेन्टर नंबर 1967, 1800–233–3663 अथवा खाद्य आयोग के टेलीफोन नंबर 0771–2972924 में सीधे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसका प्रचार–प्रसार इस वेबसाइट के जरिये किया जा रहा है।

**राज्य खाद्य आयोग की अंतर्विभागीय बैठक दिनांक 21.03.2025 में विभिन्न विभागों के अधिकारीगण से चर्चा**

छत्तीसगढ़ राज्य, खाद्य आयोग की अंतर विभागीय बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.03.2025 को नवा रायपुर स्थित कार्यालय में पूर्वान्ह 11:00 बजे आयोजित हुई। इस बैठक में श्री राजेन्द्र महिलांग, माननीय सदस्य, श्री कुलदीप शर्मा, माननीय सदस्य, श्रीमती ज्योति कश्यप, माननीय सदस्य, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में निर्धारित एजेण्डा में चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गए :–

1. राज्य खाद्य आयोग की वेबसाईट में लंबित 143 शिकायतों के निराकरण हेतु शेष संबंधित खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी तथा जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) के पास लंबित शेष 42 शिकायतों का निराकरण समय –सीमा में कराया जावें।
2. मातृत्व लाभ योजना से संबंधित लंबित शिकायतों की सूची महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित कर इसका शीघ्र निराकरण कराया जावें।
3. उचित मूल्य दुकानों में स्थापित ई–पास मशीन के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के चावल के उठाव हेतु हितग्राही को 2 बार बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना होता है, जो कि हितग्राही के लिए अत्यंत असुविधाजनक है। अतः भारत सरकार को सॉफ्टवेयर में हितग्राही द्वारा सिंगल बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर दोनो अधिनियम की पात्रता के अंतर्गत शामिल चावल के वितरण की सुविधा प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव भेजा जावें।

4. प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के कैंप के आस–पास केन्द्रीकृत रूप से संचालित उचित मूल्य दुकानों को उनकी मूल पंचायत में स्थानांतरित करने हेतु खाद्य विभाग द्वारा कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जावें।

5. वर्षाकाल के दौरान पहुंचविहीन हो जाने वाली प्रदेश की 188 उचित मूल्य दुकानों तक पहुंचमार्ग / पुल–पुलिया निर्माण की कार्यवाही कर ऐसी उचित मूल्य दुकानों को बारहमासी पहुंच मार्ग के अंतर्गत लाया जावें ताकि हितग्राहियों को राशन सामग्री प्राप्त करने में कोई समस्या न हो।

6. प्रदेश में संचालित 828 ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों को ऑनलाईन रूप से संचालित करने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही की जावें ताकि इन क्षेत्रों के हितग्राहियों को भी अस्थायी अन्यत्र प्रवास के दौरान राशन सामग्री प्राप्त करने की पोर्टेबिलिटी सुविधा प्राप्त हो सके।

7. प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा अपर प्राथमिक स्तर तक के स्कूलों में खाद्य आयोग के टोल फ्री नंबर, जिला शिकायत निवारण अधिकारी संबंधी सभी सूचना अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जावें।

8. मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में संचालित 5 केन्द्रित किचन का नियमित निरीक्षण किया जावे ताकि लाभार्थियों को निर्धारित गुणवत्ता का भोजन का प्रदाय सुनिश्चित हो सकें।

9. पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वितरित किए जा रहे फोर्टिफाईड चावल के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से अध्ययन कराया जावें।

10. वित्तीय वर्ष 2025–26 से उचित मूल्य दुकानों से मध्यान्ह भोजन तथा पूरक पोषण आहार योजना के खाद्यान्न का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए नामाकिंत प्रतिनिधि द्वारा नियमित उठाव हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावें।

## राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हितग्राही समूहों की पात्रताएं

इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न हितग्राही समूहों हेतु निम्नलिखित प्रावधान है –

1. गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषण आहार ।
2. छः माह से छः वर्ष के आयु समूह के बच्चों को स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषण आहार ।
3. 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों को सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों, स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में आठवीं कक्षा तक के बच्चों को शाला दिवस में निःशुल्क मध्यान्ह भोजन ।
4. आश्रम / छात्रावासों में निवासरत छात्र / छात्राओं हेतु रियायती दर पर खाद्यान्न ।
5. कुपोषित बच्चों की पहचान व उन्हें निःशुल्क उचित पोषक आहार ।
6. आपातकालीन अथवा प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थितियों में प्रभावित व्यक्तियों हेतु छः माह तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था ।

### (2) राशन सामग्री की पात्रता

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2024–25 में राज्य के लिए 1,15,338 टन प्रतिमाह चावल का आबंटन जारी किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त मासिक आबंटन में से 25,165 टन चावल अन्त्योदय परिवारों तथा शेष 90,173 टन चावल प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए जारी किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त आबंटित चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य तथा नियमित उपभोक्ता दर 3 रूपये प्रतिकिलो निर्धारित है। किन्तु जनवरी 2023 से आगामी 05 वर्षों तक उपरोक्त उपभोक्ता दर निःशुल्क किये जाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है।

## राज्य में राशनकार्डधारियों के लिए राशन सामग्री की निम्नानुसार पात्रता एवं दर निर्धारित की गई है -

| क्र. | योजना का नाम | योजनावार राशनकार्डो में खाद्यान्न की नियमित पात्रता एवं दर | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | खाद्यान्न | शक्कर | रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक | केरोसिन | चना | गुड़ |
| 1 | 01 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड | 10 किलो, प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क | प्रति राशनकार्ड 1 किलोग्राम 17.00 रू. प्रतिकिलो की दर से | अनुसूचित क्षेत्र में 2 किग्रा प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार निःशुल्क | **नगरीय क्षेत्र में** अधिकतम – 02 लीटर **ग्रामीण क्षेत्र में** गैर अनुसूचित क्षेत्रों में **अधिकतम**– 2 लीटर तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह **न्यूनतम** 60 रू. एवं अधिकतम 70 रू. प्रति लीटर की दर से प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह | अनुसूचित विकासखण्ड एवं माडा क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रतिमाह 02 किलो 5 रू. प्रतिकिलो की दर से | बस्तर संभाग के जिलों में प्रतिमाह 2 किलो गुड़ 17 रूपए प्रति किलो की दर से |
| | 02 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड | 20 किलो,प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क | | | | | |
| | 03 से 05 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड | 35 किलो प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क | | | | | |
| | 05 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड | 07 किलो प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क | | | | | |
| 2 | अन्त्योदय राशनकार्ड | 35 किलो, प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क | | | | | |
| 3. | एकल निराश्रित राशनकार्ड | 10 किलो प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 4. | निःशक्तजन राशनकार्ड | 10 किलो प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क | | | | | |
| 5 | 01 सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड | 10 किलो, 10 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह | | | | | |
| | 02 सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड | 20 किलो 10 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह | | | | | |
| | 03 या अधिक सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड | 35 किलो 10 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह | | | | | |

**टीप –** सभी अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2022 से निःशुल्क चावल वितरण किया जा रहा है। इन्हें दिसंबर 2028 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क प्रदाय किया जावेगा।

### (3) रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक वितरण योजना-

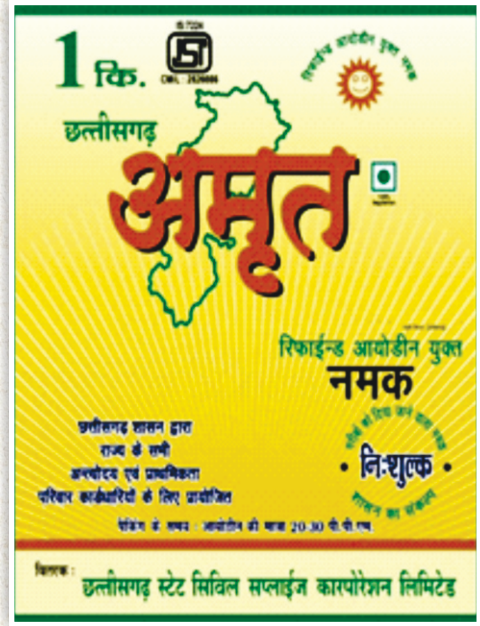


इस योजना में राज्य के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 02 किलो एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 1 किलो रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक प्रति कार्डवितरित किये जाने का प्रावधान है। रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक वितरण में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसका भुगतान वितरण एजेंसी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में राशि रूपये 139 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक अमृत नमक के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :–

(मात्रा मेट्रिक टन में)

| आबंटन | उठाव |
|---|---|
| 1,16,376 | 1,04,011 |

### (4) चना वितरण योजना-

जनवरी 2013 से राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों तथा 1 फरवरी 2019 से माडा क्षेत्र के समस्त अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 2 किलो चना 5 रूपए प्रति किलो के मान से प्रदाय किया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राशि रूपए 400 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है । वित्तीय वर्ष 2024–25 में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चना के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :–

(मात्रा मेट्रिक टन में)

| आबंटन | उठाव |
|---|---|
| 71,790 | 66,668 |

### (5) मधुर गुड़ वितरण योजना-

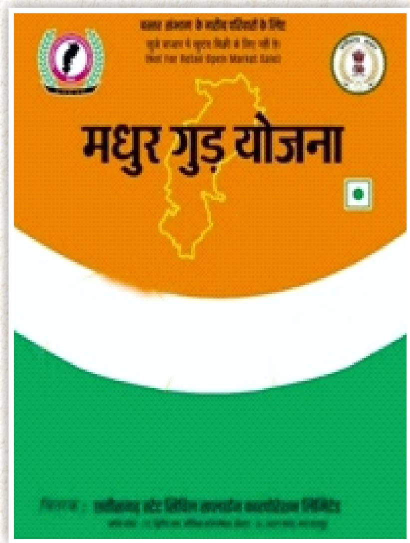


बस्तर संभाग के जिलों में आयरन की कमी दूर करने के लिए अंत्योदय, प्राथमिकता एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डधारियों को जनवरी 2020 से प्रतिमाह 2 किलो गुड़ 17 रूपए प्रति किलो की उपभोक्ता दर पर प्रदाय किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2024–25 में 81 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक गुड़ के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :–

(मात्रा मेट्रिक टन में)

| आबंटन | उठाव |
|---|---|
| 17,812 | 13,217 |

### (6) फोर्टिफाईड राईस वितरण योजना-

यह केन्द्र क्षेत्रीय योजना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना के हितग्राहियों में एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषक तत्वों से युक्त (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन– बी 12) फोर्टिफाईड चावल के वितरण का शुभारंभ कोण्डागांव जिले में 01 नवंबर 2020 से किया गया है। प्रदेश के समस्त जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अन्तयोदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को फोर्टिफाईड चावल का वितरण किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों के अतिरिक्त मध्यान्ह भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना के अंतर्गत भी फोर्टिफाईड चावल का प्रदाय किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक फोर्टिफाईड चावल के आबंटन एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है:–

(मात्रा मेट्रिक टन में)

| आबंटन | उठाव |
|---|---|
| 27,47,817 | 26,66,607 |

## (7) वन नेशन वन राशनकार्ड योजना

भारत सरकार की वन नेशन वन राशनकार्ड योजना का उद्‌देश्य आधार प्रमाणीकरण के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को अन्य राज्य में प्रवास के दौरान उचित मूल्य दुकान के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना है। यह योजना राज्य में फरवरी 2022 से प्रारंभ की गई तथा वर्तमान में राज्य में आनलाईन संचालित सभी उचित मूल्य दुकानों में क्रियान्वित की जा रही है।

## (8) कॉल सेन्टर

राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्याप्त व्यवस्था की गई है । खाद्य विभाग द्वारा जनवरी, 2008 से संचालित किए जा रहे कॉल सेंटर का दूरभाष क्रमांक 1800–233–3663 एवं 1967 है और यह एक टोल फ्री (निःशुल्क) फोन लाईन है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है ।

कॉल सेंटर में अनेक उपभोक्ताओं द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जानकारी प्राप्त किए जाने के साथ–साथ मार्च, 2025 तक कुल 2747 शिकायते दर्ज कराई गई है। प्राप्त शिकायतों में से 2531 शिकायते निराकृत की जा चुकी है ।

# महिला एवं बाल विकास विभाग

## सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 (पूर्व में आई.सी.डी.एस.) अंतर्गत

## पूरक पोषण आहार की व्यवस्था

प्रदेश में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 (पूर्व में आई.सी.डी.एस.) अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जानी वाली छः सेवाओं में से पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा है। भारत शासन द्वारा पूरक पोषण आहार व्यवस्था के संबंध में दिए गए वित्तीय एवं पोषण मापदण्डों के अनुसार पूरक पोषण आहार का वितरण निम्नानुसार किया जा रहा है :–

**टेकहोम राशन :-**

टेक होम राशन के अंतर्गत इस श्रेणी के हितग्राहियों को गेहूँ आधारित रेडी–टू–ईट फूड का प्रदाय किया जा रहा है, जिसमें रागी व मूंगफल्ली का समावेश भी किया गया है। 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चों को 125 ग्राम तथा 6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) प्रदाय किया जा रहा है। गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को घर ले जाने हेतु प्रतिदिन 150 ग्राम के मान से (सप्ताह में 06 दिवस हेतु) रेडी टू ईट दिया जा रहा है। रेडी–टू–ईट फूड का निर्माण एवं प्रदाय का कार्य माह अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग 23.74 लाख हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है जिनमें 6 माह से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चे तथा गर्भवती एवं शिशुवती मातायें शामिल हैं।

## नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन :-

आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य, मध्यम एवं गम्भीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ मेन्यू अनुसार नाश्ता दिया जा रहा है। गर्म पके हुए भोजन मे रोटी, चांवल, मिक्स दाल व सब्जी तथा नाश्ते में सप्ताह में 03 दिवस रेडी–टू–ईट फूड का हलवा एवं 03 दिवस पोहा प्रदाय किया जा रहा है। 03 से 06 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र में गर्म भोजन के अतिरिक्त रेडी टू ईट 65 ग्राम प्रतिदिन के मान से 6 दिवस हेतु 390 ग्राम का पैकेट दिया जाता है।

नाश्ता एवं चांवल आधारित गर्म पके हुए भोजन का सूखा राशन का प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 की स्थिति में 06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 10 लाख 89 हजार बच्चों, 03 से 06 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 9 लाख 11 हजार बच्चों, लगभग 2 लाख 07 हजार गर्भवती महिलाओं तथा लगभग 1 लाख 67 हजार शिशुवती महिलाओं को लाभांवित किया जा रहा है।

## किशोरी बालिकाओं के लिए योजना :-

किशोरी बालिकाओं के लिए योजनांतर्गत प्रदेश के आकांक्षी जिलों के 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को भी पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है। योजना अंतर्गत 14 से 18 वर्ष की शाला जाने वाली एवं शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को घर ले जाने हेतु प्रतिदिन 150 ग्राम के मान से (सप्ताह में 06 दिवस हेतु) रेडी टू ईट दिया जा रहा है। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना जिला बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोण्डागांव, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी, महासमुंद एवं कोरबा में लागू है। 14 से 18 वर्ष की लगभग 107958 किशोरी बालिकाओं को लाभांवित किया जा रहा है।

# प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में देश के सभी जिलों में दिनांक 01.01.2017 से यह योजना लागू की गई है, तथा प्रथम जीवित संतान एवं द्वितीय बालिका संतान हेतु योजना का लाभ देय है।

## लक्षित लाभार्थी

ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजानिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में है या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही है, सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं पात्रता रखती हैं।

## योजना अंतर्गत लाभ

योजना अंतर्गत महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिये दो किश्तों में 5000/- रूपये राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

भारत सरकार द्वारा जारी मिशन शक्ति की मार्गदर्शिका अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 से योजना अंतर्गत महिलाओं को प्रथम संतान के जन्म पर दो किश्तो में राशि रूपये 5000/- एवं द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर एकमुश्त राशि 6000/- रूपये देय है।

## वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धि

- प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 218951 हितग्राहियों का आवेदन आनलाईन दर्ज किया गया है तथा परीक्षण उपरांत कुल 182968 हितग्राहियों को कुल रू. 1090371000/- का भुगतान किया जा चुका है।
- योजना प्रांरभ से अब तक कुल 1151856 हितग्राहियों को लाभांवित करते हुए कुल राशि रू. 458.82 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।

# प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना

## सत्र 2024-25

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसके अन्तर्गत राज्य के शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं, मदरसा, संस्कृत विद्यामण्डलम् से सम्बद्ध शाला एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित CWSN शालाओं में कक्षा 1लीं से 8वीं तक अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं को प्रत्येक शालेय दिवस में गरम पका पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। इससे विद्यालयों में शाला त्याग दर एवं छात्रों के कुपोषण में कमी आयी है एवं छात्रों में कुपोषण दूर हुआ है। इस प्रकार वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत कुल शाला संख्या 45731 तथा लाभान्वितों की संख्या 28.36 लाख है।

## प्राप्त शिकायत एवं निराकृत शिकायतों की जानकारी

वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) राज्य कार्यालय के mdm.cg.nic.in सॉफ्टवेयर में टोल फ्री के माध्यम से प्राप्त प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से संबंधित कुल–68 शिकायते प्राप्त हुई है। जिनमें से अब तक 67 शिकायतों का निराकरण कर लिया गया है तथा 01 शिकायत निराकरण हेतु प्रक्रियाधीन है।

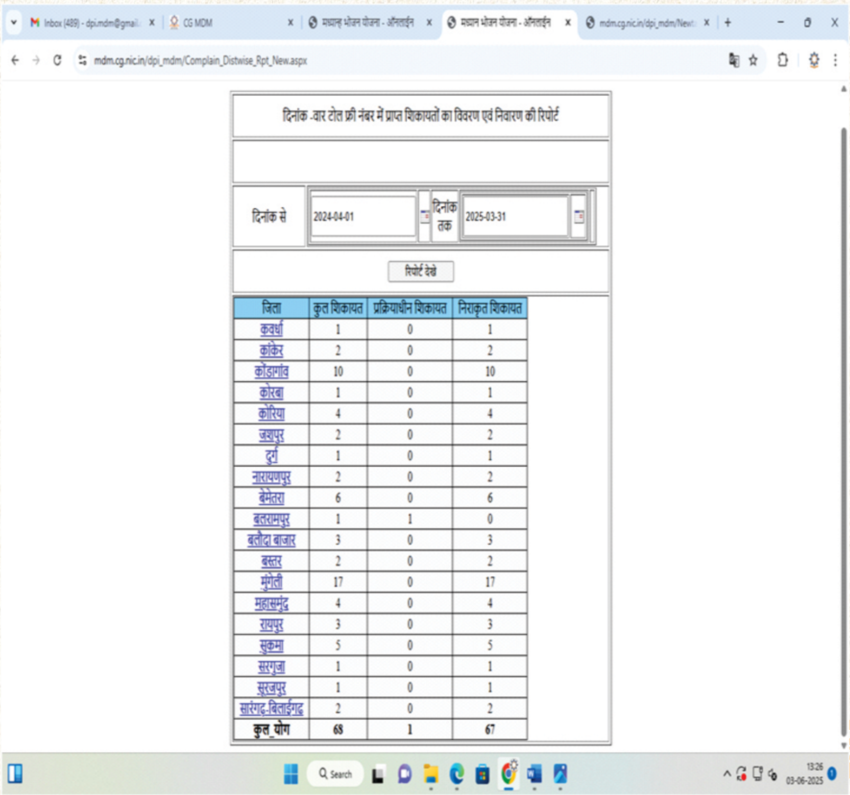

दिनांक -वार टोल फ्री नंबर में प्राप्त शिकायतों का विवरण एवं निवारण की रिपोर्ट

दिनांक से 2024-04-01 दिनांक तक 2025-03-31

रिपोर्ट देखे

| जिला | कुल शिकायत | प्रक्रियाधीन शिकायत | निराकृत शिकायत |
|---|---|---|---|
| कवर्धा | 1 | 0 | 1 |
| कांकेर | 2 | 0 | 2 |
| कोंडागांव | 10 | 0 | 10 |
| कोरबा | 1 | 0 | 1 |
| कोरिया | 4 | 0 | 4 |
| जशपुर | 2 | 0 | 2 |
| दुर्ग | 1 | 0 | 1 |
| नारायणपुर | 2 | 0 | 2 |
| बेमेतरा | 6 | 0 | 6 |
| बलरामपुर | 1 | 1 | 0 |
| बलौदा बाजार | 3 | 0 | 3 |
| बस्तर | 2 | 0 | 2 |
| मुंगेली | 17 | 0 | 17 |
| महासमुंद | 4 | 0 | 4 |
| रायपुर | 3 | 0 | 3 |
| सुकमा | 5 | 0 | 5 |
| सरगुजा | 1 | 0 | 1 |
| सूरजपुर | 1 | 0 | 1 |
| सारंगढ़-बिलाईगढ़ | 2 | 0 | 2 |
| कुल_योग | 68 | 1 | 67 |

## वित्तीय वर्ष 2024-2025 में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को प्राप्त एवं निराकृत शिकायतों की जानकारी

| क्र. | जिला | प्राप्त शिकायत | निराकृत शिकायते | लंबित शिकायत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बस्तर | 5 | 2 | 3 |
| 2 | बीजापुर | 3 | 3 | 0 |
| 3 | दन्तेवाड़ा | 1 | 0 | 1 |
| 4 | कांकेर | 13 | 12 | 1 |
| 5 | कोंडागांव | 1 | 0 | 1 |
| 6 | नारायणपुर | 1 | 0 | 1 |
| 7 | सुकमा | 1 | 0 | 1 |
| 8 | बिलासपुर | 2 | 2 | 0 |
| 9 | जांजगीर–चाम्पा | 3 | 3 | 0 |
| 10 | गौरेला–पेन्ड्रा–मरवाही | 2 | 2 | 0 |
| 11 | कोरबा | 3 | 0 | 3 |
| 12 | मुंगेली | 6 | 2 | 4 |
| 13 | रायगढ़ | 4 | 4 | 0 |
| 14 | बालोद | 7 | 5 | 2 |
| 15 | बेमेतरा | 5 | 5 | 0 |
| 16 | दुर्ग | 11 | 9 | 2 |
| 17 | कवर्धा | 8 | 7 | 1 |
| 18 | राजनांदगांव | 4 | 0 | 4 |
| 19 | बलौदा बाजार–भाठापारा | 6 | 6 | 0 |
| 20 | धमतरी | 0 | 0 | 0 |
| 21 | गरियाबंद | 0 | 0 | 0 |
| 22 | महासमुंद | 0 | 0 | 0 |
| 23 | रायपुर | 0 | 0 | 0 |
| 24 | बलरामपुर | 0 | 0 | 0 |
| 25 | जशपुर | 0 | 0 | 0 |
| 26 | कोरिया | 0 | 0 | 0 |
| 27 | सरगुजा | 0 | 0 | 0 |
| 28 | सुरजपूर | 0 | 0 | 0 |
| 29 | सक्ती | 0 | 0 | 0 |
| 30 | मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर | 0 | 0 | 0 |
| 31 | सारंगढ़–बिलाईगढ | 0 | 0 | 0 |
| 32 | खैरागढ़–छुईखदान–गडंई | 0 | 0 | 0 |
| 33 | मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी | 0 | 0 | 0 |
| | **कुल योग** | **86** | **62** | **24** |

# वित्तीय वर्ष 2024-2025 में आयोग की वेबसाइट में प्राप्त एवं निराकृत शिकायतों की जानकारी

| क्र. | जिला | प्राप्त शिकायत | निराकृत शिकायते | लंबित शिकायत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बस्तर | 6 | 5 | 1 |
| 2 | बीजापुर | 0 | 0 | 0 |
| 3 | दन्तेवाड़ा | 1 | 1 | 0 |
| 4 | कांकेर | 5 | 5 | 0 |
| 5 | कोंडागांव | 5 | 1 | 4 |
| 6 | नारायणपुर | 1 | 0 | 1 |
| 7 | सुकमा | 1 | 1 | 0 |
| 8 | बिलासपुर | 48 | 44 | 4 |
| 9 | जांजगीर–चाम्पा | 34 | 26 | 8 |
| 10 | गौरेला–पेन्ड्रा–मरवाही | 6 | 6 | 0 |
| 11 | कोरबा | 27 | 22 | 5 |
| 12 | मुंगेली | 99 | 96 | 3 |
| 13 | रायगढ़ | 30 | 21 | 9 |
| 14 | बालोद | 8 | 2 | 6 |
| 15 | बेमेतरा | 17 | 14 | 3 |
| 16 | दुर्ग | 38 | 35 | 3 |
| 17 | कवर्धा | 14 | 10 | 4 |
| 18 | राजनांदगांव | 16 | 16 | 0 |
| 19 | बलौदा बाजार–भाठापारा | 21 | 14 | 7 |
| 20 | धमतरी | 19 | 19 | 0 |
| 21 | गरियाबंद | 2 | 2 | 0 |
| 22 | महासमुंद | 26 | 14 | 12 |
| 23 | रायपुर | 77 | 28 | 49 |
| 24 | बलरामपुर | 28 | 17 | 11 |
| 25 | जशपुर | 7 | 2 | 5 |
| 26 | कोरिया | 9 | 7 | 2 |
| 27 | सरगुजा | 23 | 3 | 20 |
| 28 | सुरजपूर | 7 | 7 | 0 |
| 29 | सक्ती | 17 | 16 | 1 |
| 30 | मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर | 14 | 11 | 3 |
| 31 | सारंगढ़–बिलाईगढ | 11 | 7 | 4 |
| 32 | खैरागढ़–छुईखदान–गडंई | 14 | 14 | 0 |
| 33 | मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी | 36 | 36 | 0 |
| | **कुल योग** | **667** | **502** | **165** |

# आयोग का बजट

वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग को प्राप्त योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:-

(दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में)

(राशि- रूपये में)

| क्र. | योजना क्रमांक/नाम | प्रावधानित राशि | व्यय राशि | व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #01- वेतन भत्ते, आदि 001 वेतन | 2000000 | 507600 | 25.38 |
| 2 | 003 महंगाई भत्ता | 1000000 | 242056 | 24.21 |
| 3 | 008 नगर क्षतिपूर्ति भत्ता | 50000 | 900 | 1.80 |
| 4 | 014 अन्य भत्ते | 200000 | 102163 | 51.08 |
| 5 | 015 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 200000 | 0 | 0.00 |
| 6 | 016 मानदेय | 1440000 | 1057500 | 73.44 |
| 7 | #02- मजदूरी 004 अन्य आकस्मिक मजदूरी | 350000 | 342380 | 97.82 |
| 8 | 005 अन्य आकस्मिक मजदूरी | 1600000 | 1588368 | 99.27 |
| 9 | #03- यात्रा भत्ता 001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर | 500000 | 17167 | 3.43 |
| 10 | #04- कार्यालय व्यय,001 डाक तार पर व्यय | 20000 | 0 | 0.00 |
| 11 | 002 दूरभाष पर व्यय | 100000 | 50011 | 50.01 |
| 12 | 003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण | 100000 | 100000 | 100.00 |
| 13 | 004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं | 50000 | 7224 | 14.45 |
| 14 | 005– बिजली एवं जल प्रभार | 150000 | 87554 | 58.37 |
| 15 | 006– वर्दियां | 50000 | 0 | 0.00 |
| 16 | 007 लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई | 150000 | 70603 | 47.07 |
| 17 | 008– अन्य आकस्मिक व्यय | 200000 | 96344 | 48.17 |
| 18 | 009 सूचना प्रौद्योगिकी | 156260 | 27730 | 17.75 |
| 19 | 013– किराया, महसूल, कर | 792000 | 792000 | 100.00 |
| 20 | 014– वाहन किराया भाड़ा | 2651740 | 2651725 | 100.00 |
| 21 | #10 –व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां विशेष सेवायें हेतु व्यय 009 | 500000 | 0 | 0.00 |
| 22 | #24- अनुरक्षण कार्य001 मोटर गाड़ी | 10000 | 0 | 0.00 |
| | **कुल योग** | **12270000** | **7741325** | **63.09** |

# माननीय अध्यक्ष द्वारा 15 अगस्त, 2024 को राज्य खाद्य आयोग कार्यालय में ध्वजारोहण

# 26 जनवरी, 2025 को राज्य खाद्य आयोग कार्यालय में ध्वजारोहण

# राज्य खाद्य आयोग कार्यालय

डी-2/9 एवं डी-2/10, सेक्टर 17, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

दूरभाषः 0771-2972923, Email: khadyaayog@gmail.com


छत्तीसगढ़ संवाद